बिहार सरकार
उद्योग विभाग
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना।
कोटेशन आमंत्रण सूचना

उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पाटलीपुत्रा कॉलोनी, पटना–13 द्वारा "बिहार के नौ रत्नों के जीवनवृत्त" शीर्षक पुस्तक के मुद्रण/प्रकाशन हेतु मुद्रकों/प्रकाशकों से निम्न शर्तो के तहत मुहरबंद कोटेशन दिनांक **28.01.2021** को अपराह्न **1:00** बजे तक आमंत्रित किया जाता है। कोटेशन निदेशक, संस्थान के कार्यालय–कक्ष में उसी दिन अपराह्न 4.00 बजे खोली जायगी, जिसमें कोटेशनदाता अथवा उनके द्वारा प्रधिकृत प्रतिनिधि शामिल हो सकते है।

(1) संबंधित पत्रिका की कुल 500 प्रतियों का हिन्दी में मुद्रण एवं उसका भावनुवाद अंग्रेजी में उसके पार्श्व पृष्ठ पर लिपिबद्ध रहेगा, का मुद्रण किया जाना है। हिन्दी जीवनी का अंग्रेजी में अनुवाद (भावनुवाद) मुद्रक/प्रकाशक को ही कराना होगा।

(2) A4 आकार में पुस्तिका मुद्रित होगा। पुस्तक में मल्टीकलर आवरण सहित हिन्दी में लगभग 75 पृष्ठ एवं अंग्रेजी भावनुवाद में 75 पृष्ठ होंगे। पृष्ठ की संख्या घट–बढ सकती है। वास्तविक मुद्रण के अनुसार भुगतान होगा।

(3) पुस्तक का मुद्रण बहु रंगो में होगा। अंदर का पृष्ट 130 जी.एस.एम., आवरण 300 जी.एस.एम./मैट लेमिनेशन।

(4) प्रत्येक जीवनी के साथ संबंधित कलाकार का कम से कम 4 उत्कृष्ट कलाकृति/पेंटिंग का फोटोग्राफ्स रहना अनिवार्य है।

(5) प्रुफ रीडिंग का कार्य संबंधित सफल कोटेशनदाता को करना होगा ।

(6) पुस्तक की छपाई स्कैनिंग–प्लानिंग सहित होगी। (डिजाईन एवं एडिटिंग सहित)।

(7) कोटेशन देने के पूर्व मुद्रक/प्रकाशक किसी भी कार्य–दिवस को कार्यालय अवधि में पाण्डुलिपि देख सकते है।

कोटेशन की शर्तें :–

(1) सीलबंद कोटेशन द्वि–लिफाफा पद्धति के अन्तर्गत होगा। इसमें तकनीकी एवं वित्तीय कोटेशन के उल्लेख के साथ दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफा होगा। दोनों सीलबंद लिफाफे को एक बड़े लिफाफे में रखकर उसे सीलबंद कर समर्पित करना होगा।

(2) कोटेशनदाताओं द्वारा उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, के नाम से 10,000.00 रू0 (दस हजार रू0) मात्र का बैंक ड्रॉफ्ट अग्रधन राशि के रूप में जमा करना होगा।

(3) मुद्रण में उपयोग किये जाने वाले 130 जी.एस.एम. आर्ट पेपर कागज का नमूना एवं आवरण हेतु उपयोग में लाये जाने वाले पेपर (300 GSM)कोटेशन के साथ संलग्न करना होगा।

(4) **GST** निबंधन प्रमाण–पत्र की छायाप्रति संलग्न करना होगा।

(5) प्रतिष्ठान/प्रोप्राइटर के पैन कार्ड की छायाप्रति एवं अद्यतन आकर रिटर्न (वित्तीय वर्ष 2019–20)की छायाप्रति।

(6) विगत एक वर्ष का सरकारी विभाग में मुद्रण/प्रकाशन का अनुभव संबंधी कागजात की छायाप्रति।

(7) कोटेशन लिफाफा में सभी कागजात कोटेशनदाता द्वारा हस्ताक्षरित कर संलग्न किया जायेगा। मांगे जाने पर कोटेशन में समर्पित कागजातों की मूल प्रति कोटेशनदाता द्वारा उपलब्ध कराना होगा।

(8) अपूर्ण कोटेशन पर किसी भी परिस्थिति में विचार नहीं किया जायेगा।

(9) तकनीकी रूप से योग्य कोटेशनदाता की वित्तीय कोटेशन पर विचार किया जायेगा।

(10) सफल कोटेशनदाता द्वारा मुद्रित पुस्तक की आपूर्ति इस कार्यालय में हस्तगत करानी होगी तथा इसके लिए अलग से यात्रा व्यय/भाड़ा इत्यादि देय नहीं होगा।

(11) सफल कोटेशनदाता की अग्रधन राशि एवं सुरक्षित जमा राशि का बैंक डाफट आपूर्ति एवं इसके भुगतान की प्रक्रिया पूर्ण होने तक रोक रखी जायेगी। अन्य कोटेशनदाताओं का अग्रधन तीस कार्य दिवसों के अन्तर्गत (समुचित पहचान के उपरान्त) वापस कर दिया जायेगा।

(12) दर 500 प्रति के अनुसार एक प्रति का मूल्य अंकित करना होगा। वास्तविक मुद्रण में पृष्टों की संख्या बढ़ने या घटने पर भुगतान स्वीकृत दर के अनुपातिक होगा।

(13) कोटेशन प्रक्रिया को बिना पूर्व सूचना के पूर्णतः/अंशतः संशोधित/रद्द करने का पूर्ण अधिकार अद्योहस्ताक्षरी में निहित है।

(14) कोटेशन प्रारूप कार्यालय के सूचना पट् पर एवं संस्थान के वेबसाइट www.umsas.org.in पर उपलब्ध है।

निदेशक,
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।

ज्ञापांक.....72...../ पटना, दिनांक.....16/01/21.....

प्रतिलिपिः– उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान, पटना के सूचना पट पर चिपकाने हेतु।

निदेशक 16-1-2021
उपेन्द्र महारथी शिल्प अनुसंधान संस्थान,
पटना।